# न्यायालय अति0 जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

| प्रकरण संख्या | रजि० नं0 | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 11 / 66 / 2024 | 2024 / 39 | 10.07.2024 | 27.11.2024 |

1– धोल्याराम पुत्र रामजीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम कुलताजपुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल – तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार खैरथल जिला खैरथल–तिजारा।

2– जगजीतकौर पत्नि भूपेन्द्रसिंह पुत्री बलबीरसिंह जाति भाट सिक्ख निवासी ग्राम नूरनगर हाल आबाद वार्ड न0 15 गुरूनानक कॉलोनी खैरथल जिला खैरथल – तिजारा (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार खैरथल निर्णय दिनाक 23.05.2024 विरासत नामान्तकरण संख्या 1878 वाके ग्राम नूरनगर तहसील खैरथल जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

उपस्थित–

01. श्री राजेश शर्मा –वकील अपीलान्ट

02. श्री जनार्दन शर्मा –वकील रेस्पोडेन्ट

## –:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार खैरथल द्वारा पारित विरासत नामान्तकरण संख्या 1878 निर्णय दिनांक 23.05.2024 वाके ग्राम नूरनगर तहसील खैरथल जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 739 रकबा 0.2900 है0 जिसका साबिक आराजी खसरा न0 496 मिन रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा ग्राम नूरनगर से कायम किया गया है, साबिक आराजी खसरा न0 496 मिन रकबा 1 बिघा 16 बिस्वा वाके ग्राम नूरनगर को मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के पिता स्व0 रामजीलाल पुत्र भोलूराम ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनाक 22.12.1972 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता बलबीरसिंह पुत्र करतारसिंह सिक्ख निवासी नूरनगर से प्रतिफल राशि अदा कर बाकब्जा खरीद किया था। यहॉ यह उल्लेख करना भी आवश्यक है, कि साबिक आराजी खसरा न0 496 सहित दीगर कृषि भूमि का अलोटी सुन्दरसिंह पुत्र लधासिंह सिक्ख था, जिसके कोई सन्तान नही थी, और न ही कोई नजदीकी वारीसान था। सनद पटटा जारी करने पर तत्कालीन तहसीलदार किशनगढबास ने बलबीरसिंह को कर्ता फैमली मानते हुऐ सनद पटटा बलबीरसिंह पुत्र करतासिंह के नाम जारी किया और बलबीरसिंह ने ही विक्रय राशि प्राप्त कर आराजी खसरा न0 साबिक 496 मिन रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा का बयनामा कराया था, जिसका नामान्तकरण रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा का तत्कालीन हल्का

अति जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा

पटवारी ने पिता के नाम दर्ज किया, चूकि अपीलान्ट का पिता साबिक आराजी खसरा न0 496 मिन पर वर्ष 1972 से पूर्व काबिज काश्त है। साबिक आराजी खसरा न0 496 के हाल आराजी खसरा न0 737, 738 व 739 ग्राम नूरनगर कायम किये है। हाल आराजी खसरा न0 739 हमारी खरीद शुदा रकबा 3/23 चौसाला जमाबन्दीयात में बलबीरसिंह की गैरखातेदारी में अंकित चला आ रहा है, पिता के फौत होने पर अपीलान्ट तरतीबी रेस्पोडेन्ट दोनो पुत्रान कानूनी वारीसान है, और अपीलान्ट ने आराजी खसरा न0 739 रकबा 0.2900 है0 में से 3/23 हिस्सा की बाबत एक राजस्व वाद खातेदारी अंकित कराने हेतु बयनामा 22/12/1972 के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास में दायर किया हुआ है। जो विचाराधीन है। मिन अपीलान्ट के राजस्व वाद की जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व सरपंच पति ग्राम पंचायत नूरनगर को होने पर आपस में मिल्लत व साजबाज होकर मृतक बलबीरसिंह की एक मात्र पुत्री रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को वारीस बताकर हल्का पटवारी से मिल्लत कर बिना वारीसान की जॉच कराये फर्जकारी करते हुऐ मिन अपीलान्ट के खरीद शुदा रकबा 3/23 को हडपने की नियत से अपीलान्ट के आपत्ति करने पर भी मनमाने तौर पर विरासत का नामान्तकरण संख्या 1878 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अन्धेरे में रखकर या दबाव बनाकर स्वीकार करा लिया और नामान्तकरण का नोट जमाबन्दी में अंकित करा दिया। जबकि आराजी पर हमारे वाद का स्थगन आदेश जारी था, जबकि मृतक बलबीरसिंह पुत्र करतारसिंह के तीन पुत्रान कानूनी वारीसान है, जो वर्तमान में अम्बाला शहर पंजाब में आबाद है। तथा जगजीतकोर के अलावा दो पुत्रीया एक अम्बाला में रहती है, तथा दुसरी पुत्री जम्मू में आबाद है। जिसकी निर्वाचन सूची व निवास स्थान की बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को तथा पटवारी हल्का नूरनगर को जानकारी दे दी थी, यहा यह उल्लेख करना भी आवश्यक है, कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 जगजीतकौर ने माह सितम्बर 2023 में तहसीलदार खैरथल के समक्ष विरासत नामान्तकरण दर्ज कराने का आवेदन दिया तथा स्वयं के हस्ताक्षर से ही एक आवेदन दिनाक 26.10.2023 को तहरीर कराकर तहसीलदार खैरथल के समक्ष दिनाक 30.10.2023 को यह अंकित करते हुये कि आराजी खसरा न0 739 ग्राम नूरनगर में से 3/23 हिस्सा का नामान्तकरण दर्ज नही कराना चाहती मेरे पिताजी के द्वारा आराजी बेचान कर दी गयी है। जिसके आधार पर विरासत नामान्तकरण संख्या 1847 दिनाक 30.11.2023 को निरस्त किया गया है। जिससे साफ जाहिर है, कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 व हल्का पटवारी की जानकारी में तमाम तथ्य थे, किन्तु उसके बावजुद भी अपीलान्ट बीस लाख रंगदारी की रकम देने से मना करने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने बमिल्लत सरपंच पति आनन फानन आवेदन देकर वारिसान की जॉच किये बिना ही ग्राम नूरनगर में कराये ग्राम खैरथल में कराकर अकेली रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में फर्जकारी व जालसाजी करते हुऐ नामान्तकरण स्वीकार करा लिया इस लिऐ भी नामान्तकरण संख्या 1878 निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट के पिता ने अपने जीवनकाल में हाल आराजी खसरा न0 737, 739 जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद की है। आराजी खसरा न0 739 में से 20/23 भाग आज भी सुन्दरसिंह पुत्र लधासिंह सिक्ख की गैर खातेदारी में चला आ रहा है। जिस पर अपीलान्ट का पिता लगभग 50–55 साल से काबिज चले आ रहे है। गैर खातेदार सुन्दरसिंह के कोई वारिस नही था, और न ही बलबीरसिंह पुत्र करतारसिंह सिक्ख का कोई नजदीकी रिश्ता ही था। किन्तू कर्ता फैमली बनकर विक्रय राशि प्राप्त कर बयनाया दिनाक 22.12.1972 बहक रामजीलाल अपीलान्ट के पिता के हक में कराया था और बरोज खरीद से अपीलान्ट व उसका पिता रामजीलाल काबिज चले आ रहे है। तथा आज भी काबिज है। ऐसी सूरत में हिस्सा 3/23 वाके ग्राम नूरनगर का नामान्तकरण अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के हक में दर्ज कराया जावे। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 23.05.2024 की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, दिनाक 12.06.2024 को मिन अपीलान्ट ने पटवारी हल्का से जानकारी से दिनाक 12.06.2024 को ई–मित्र की दुकान से नकल जमाबन्दी प्राप्त की तो तमाम कार्यवाही की जानकारी प्राप्त हुई। जिस पर दिनाक 03.07.2024 को पटवारी हल्का से नकल हेतु सम्पर्क किया गया उसी दिन नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की गयी है, अपील पेश किये जाने में हुये विलम्ब को माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 का पेश कर अपील अन्दर अवधि मियाद शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत

त जिला कलक्टर
रथल–तिजारा

अदालत द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 1878 निर्णय दिनाक 23.05.2024 वाके ग्राम नूरनगर तहसील खैरथल निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है, कि अपीलान्ट के द्वारा यह अपील तहसीलदार खैरथल द्वारा पारित निर्णय दिनाक 23.05.2024 विरासत नामान्तकरण संख्या 1878 वाके ग्राम नूरनगर तहसील खैरथल जिला खैरथल–तिजारा में वर्णित आराजी खसरा न0 739 रकबा 0.2900 है0 के 3/23 हिस्सा के बाबत व्यथित होकर न्यायालय के समक्ष दिनाक 09.07.2024 को पेश की है, जबकि अपीलान्ट के द्वारा दिनाक 21.05.2024 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास के यहा एक राजस्व वाद संख्या 111/2024 बअनुवान दीनदयाल वगै0 बनाम राजस्थान सरकार वगै0 पेश किया गया है, अर्थात अपीलान्ट के द्वारा उक्त अपील किये जाने से पूर्व ही राजस्व वाद इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सक्षम न्यायालय में दायर किया हुआ है, जिसकी कार्यवाही जेरकार है। अपीलान्ट द्वारा पेश की गयी अपील का कोई ऑचितय नही नही है, क्योकि प्रकरण में अधिकार तय सक्षम न्यायलय से होने है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे। वकील रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपने कथन की पुष्टि में माननीय न्यायालय की नजीरे कमशः आर.आर.टी. 1117 (2) 2008 अपील संख्या 3967/आर.आर.टी. 1264 (2) 2011 निगरानी संख्या 2328, 2329 पेश की गयी है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकुलाय की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन आदेश वाके ग्राम नूरनगर विरासत नामान्तकरण संख्या 1878 दिनांक 23.05.2024 के विरूद्व दिनाक 09.07.2024 को पेश की गयी है, जो एक माह 15 दिन पश्चात पेश की गयी है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 23.05.2024 की जानकारी अपीलान्ट को दिनाक 03.07.2024 को होना अंकित किया गया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि अपीलान्ट के पिता ने अपने जीवनकाल में हाल आराजी खसरा न0 737, 739 जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद की है। आराजी खसरा न0 739 में से 20/23 भाग आज भी सुन्दरसिंह पुत्र लधासिंह सिक्ख की गैर खातेदारी में चला आ रहा है। जिस पर अपीलान्ट का पिता लगभग 50–55 साल से काबिज चले आ रहे है। गैर खातेदार सुन्दरसिंह के कोई वारिस नही था, और न ही बलबीरसिंह पुत्र करतारसिंह सिक्ख का कोई नजदीकी रिश्ता ही था। किन्तू कर्ता फैमली बनकर विक्रय राशि प्राप्त कर बयनाया दिनाक 22.12.1972 बहक रामजीलाल अपीलान्ट के पिता के हक में कराया था और बरोज खरीद से अपीलान्ट व उसका पिता रामजीलाल काबिज चले आ रहे है। तथा आज भी काबिज है, साथ ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास में विचाराधीन प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट बउनवान दीनदयाल बनाम सरकार में दिनाक 21.05.2024 को आराजी खसरा न0 739 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा में से 3/23 हिस्सा वाके ग्राम नूरनगर तहसील किशनगढबास की राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जारी किया गया है, जिसका निर्णय दिनाक 27.11.2024 के द्वारा ताफैसला दावा स्थाई किया गया है। तहत अदालत द्वारा विवादित विरासत नामान्तकरण दिनाक 23.05.2024 को पारित किया गया है इससे स्पष्ट है, कि विवादित आराजी पर स्थगन आदेश प्रभावी रहते हुऐ नामान्तकरण की कार्यवाही की गयी है, जो न्यायोचित नही है। तहत अदालत द्वारा बिना राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये निर्णय पारित किया गया है। अपील अपीलान्ट स्वीकार कर रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तथा तहत अदालत तहसीलदार खैरथल द्वारा पारित निर्णय दिनांक दिनाक 23.05.2024 विरासत नामान्तकरण संख्या 1878 ग्राम नूरनगर तहसील खैरथल निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि विवादित आराजी के बाबत विचाराधीन वाद के विधिवत निर्णय उपरान्त पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर विधिवत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रमाणित

जिला कलक्टर
ल–तिजारा

प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/11/24

(शिवपाल जाट)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा